

समाचार

मास्क न पहनने पर 5300 रुपये जुर्माना

(सड़क पर कचरा फेंकने पर लगा अर्थदण्ड)

कोरबा 30 जून 2020 —नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा बिना मास्क पहने घरों से निकलकर सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने वाले लोगों के ऊपर आज पुनः 5300 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया, वहीं सड़क पर कचरा फेंकने पर संबंधित व्यक्ति से 100 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। मास्क न पहनने वालों पर निगम के कोसाबाड़ी जोन, पं.रविशंकर शुक्ल, दर्सी, बांकीमोंगरा, सर्वमंगला जोन में यह कार्यवाही निगम अमले द्वारा की गई, साथ ही उन्हें समझाईश दी गई कि वे घर से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा पान, गुटका, तम्बाखू खाकर सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। सड़क, नाली व सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकने वालों को कड़ी हिदायत दी गई कि वे सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फेंके।

फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अनिवार्यतः लगाएं—महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद एवं आयुक्त श्री एस.जयवर्धन ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि संक्रमण से बचने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बिना मास्क लगाए घर से बाहर न जाएं, मास्क न होने पर गमछे, रुमाल आदि से मुंह, नाक अच्छी तरह ढक कर ही बाहर निकले, दुकानों, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग आवश्यक रूप से अपनाएं। उन्होंने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा है कि वे व्यवसाय के दौरान अपनी दुकानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन कराएं, इस हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित कर ले तथा वायरस के संक्रमण से बचाव, उसके नियंत्रण एवं प्रसार को रोकने की दिशा में शासन प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों में अपना पूरा सहयोग दें।